फर्द अहकाम

राजेश बनाम तहसीलदार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपुतली

संख्या 03/2020

क्रम	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.3.20	पेशकर्ता पेश हुये। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा अपील में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके वर्णित तथ्य से इंकार पेश किये है। फाईल आगामी तारीख 7.04.2020 को तलब की जाये। मौजा फतेहपुरा तथा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर में स्थित है। उक्त अपील पर तामिलात दिनांक 24.5.2019 को तहसीलदार के आदेश क्रमांक ब.अ./19/1364 दिनांक 16.5.19 से पटवारी हल्का द्वारा तामिलात किया है अपीलार्थी से न तो नोटिस लिया गया तथा न ही पुलवाई का मौका दिया गया। पटवारी हल्का ने अन्य व्यक्तियों से साजा बाज करके अपीलार्थी से दुर्भावना पूर्ण रंजिश से गलत तामिलात का प्रतिवेदन किया गया। तहसील कार्यालय में उपस्थित होने की तारीख 16.5.19 को अपीलार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व में किया गया तामिलात से अनुसार तामिल प्रतिवेदित हेतु पटवारी हल्का को भेजे जाने पर हुये है। इस के उपरान्त ही अपीलार्थी से तहसीलदार कोटपुतली के आदेश 16.5.19 की जानकारी हुई। जानकारी होने पर निम्नांकित अतिरिक्त आधार इस अपील में संशोधन के साथ पेश करते हैं अतः अपीलार्थी का आदेश क्रमांक ब.अ./19/1364 दिनांक 16.5.19 को निरस्त किया जावे।	

(2)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		वाले मौजा फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान का सीमांकन अमीलान की उपस्थिति में किये जाने के अदेश उदान किये। अमीलान द्वारा जाविये वकील अमील पेश होने पर इन राजीवर दीवानी, दिये अनुरूप रेस्पोडेंट की तरफ से गई उप तामील समन नोटीस जारी होने पर उपस्थ पंगावली किया गया। प्रकरण में वक्त पुनी गई। वकील अमीलान द्वारा अपनी बहस में आवेदन किया कि तहसीलदार कोटपूतली के आदेशों दि 19/1364/डिगांड 16.5.19 के अदेशों से पटवारी हल्का द्वारा डिगांड 24 5/19 को सीमासान वक्त खसरा नम्बरवार किया है सीमासान करने से पूर्व अमीलान को सिविल प्रोसीजर का नोटिस जारी किया गया ही मौके पर आराजि नं 704/0.28 वाले मौजा फतेहपुरा कलां का सीमासान करते समय उपस्थित किये तथा पुनवार्ता करवाकर हारा मनमानी ढंग से अमीलान को बिना सुने बिना खारीज किये तथा पुनवार्ता कराकर डाल दिये बिना ही उक्त आदेश 16.5.19 को तहसीलदार कोटपूतली ने पारी किये हैं जो न्याय के जाहरिद सिद्धान्तों के खिलाफ हो जब ही अमीलान को पुनवार्ता का सुयोचित अवसर उदान करना चाहिए था तथा अमीलान की मौजूदगी में उक्त आसानी खसरा नम्बर का सीमासान करना चाहिये था इकबाल तहसीलदार कोटपूतली हारा मनमानी ढंग से उक्त आदेश पारित कर सीमासान कराया है जो न्याय के जाहरिद सिद्धान्त के विपरीत हुआ है इसलिए तहसीलदार कोटपूतली के आदेश उदांड अ-अ/19/1364 दिनांड

अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जय

फर्द अहकाम

राजेश बनाम तहसीलदार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली

संख्या 02/2020

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		16.5.19 को निरस्त किया जाकर हल आराजी पैमाइश नम्बर 704/0.82 है वाले मौजा फतेहपुरा कलां तहसील कोटपुतली जिला जयपुर का सीमाबान अमीनान्त की उपस्थिति में कराने का आदेश जारी करावें। पत्रावली पर उपलब्ध साइफ एवं दावे पत्र का अवलोकन किया तथा वकील अमीनान्त द्वारा प्रस्तुत पत्र पर मनन करके पाया कि तहसीलदार कोटपुतली के आदेश स.अ./19/1364 दिनांक 16.5.19 के मार्फत दि दिनांक 24.5.19 को आ.वा.न. 704/0.82 वाकेएक फतेहपुरा कलां को पटवारी हल्का द्वारा सीमाबान किया है जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट की नकल संलग्न पत्रावली है। चूंकि तहसीलदार कोटपुतली द्वारा जो सीमाबान बाबत अरिया उपरांत स.अ./19/1364 दिनांक 16.5.19 को पारी किये गये उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.5.19 को सीमाबान कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसके अवलोकन से उक्त फर्द मौका रिपोर्ट में अमीनान्त का उपस्थित होनेका कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है इससे स्पष्ट है कि सीमाबान के दौरान अमीनान्त मौके पर मौजूद नहीं था तथा तहसीलदार द्वारा जारी आदेश 16.5.19 की मानकारी अमीनान्त को नहीं थी। वकील अमीनान्त ने भी प्रस्तुत पत्र में पाया है कि अमीनान्त को बिना सूचित किये एवं बिना हुलवाये का फर्क जारी किये तहसीलदार कोटपुतली द्वारा स.अ./19/1364 दिनांक 16.5.19 को आदेश पारित किये है जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अमीनान्त को सूचित कर हुलवाने का तथा फर्क जारी करने के उपरान्त ही सीमाबान के आदेश जारी करने चाहिये थे	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
		शकालेह अभीत्यान हारा प्रदुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होती है। अतः तहसीलदार द्वारा अ0 प्र0 नं0 704/0.82 है. वाडे मौजा फतेहपुरा कला तहसील कोटपुतली जीत्राजपुर सीमासान बाबत जारी आदेश 2-म/19/1364 दिनांक 16.5.19 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार कोटपुतली को आदेश दिये जाते हैं कि अभीत्यान एवं तह- वातेदारो की उपस्थिति में हाल मारजी खसरा नम्बर 704/0.82 है वाडे मौजा फतेहपुरा कलां तहसील कोटपुतली जीत्राजपुर का सीमासान पुनः नये सिरे से कराया जावे। उक्त आदेश की पालनार्थ हुई तहसीलदार कोटपुतली को तहरीर पानी हो पगावली फरीक्त शुमार होवा नम्बर से कम होवा वार तकसीम यारवैल रक्खा हो) अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)	